

## 1. योजना

- I. इस योजना का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण की "दि.वि.प्रा. आवासीय योजना-2006" है।
- II. योजना दिनांक 22-08-2006 से 12-10-2006 तक खुली रहेगी।
- III. योजना के अन्तर्गत दिए गए फ्लैट्स का विवरण संलग्नक 'ए' में दिया गया है। फ्लैट्स "जहां है जैसा है" के आधार पर दिए जाएंगे। सभी फ्लैट्स पूर्ण एवं कब्जे हेतु तैयार स्थिति में हैं।

## 2. पात्रता

- I. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- II. उसे वयस्क होना चाहिए। इसके लिए आवेदन भरने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- III. आवेदक के पास दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी क्षेत्र में पट्टा धारिता आधार पर, फ्री होल्ड आधार पर, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने नाम में या पत्नी/पति के नाम में या अपने अवयस्क अथवा आश्रित बच्चों के नाम पर कोई मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि आवासीय मकान/फ्लैट के अन्तर्गत संयुक्त स्वामित्व वाले प्लॉट या भूमि में आवेदक का व्यक्तिगत हिस्सा 66.9 वर्ग मीटर (80 वर्ग गज) से कम है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकता/सकती है।
- IV. एक परिवार का कोई एक व्यक्ति आवेदन जमा कर सकता है। परिवार का अर्थ है जीवन साथी (यदि कोई हो), आश्रित/अवयस्क बच्चे, यदि कोई हो।
- V. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है।
- VI. ऐसा व्यक्ति, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य भू-स्वामी विभाग द्वारा निर्मित मकान/प्लॉट आवंटित किया जा चुका है चाहे वह 66.9 वर्ग मीटर (80 गज) से कम हो, वह इस योजना के अन्तर्गत अन्य फ्लैट के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
- VII. कोई आय-सीमा नहीं है। आवेदक अपनी आवश्यकता और वहन-क्षमता के अनुसार आवेदन कर सकता है।
- VIII. आवेदक का किसी अनुसूचित बैंक में आवेदन की तिथि पर खाता होना चाहिए और आवेदन का विवरण भरा होना चाहिए।
- IX. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पर्मनेंट एकाउंट नंबर) (पैन) होना चाहिए और आवेदन पत्र में इसको भरा जाए।

## 3. आरक्षण

- इस योजना के अन्तर्गत आरक्षण का विवरण नीचे दिया गया है।
- I. 17.5 % फ्लैट अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे
  - II. 7.5 % फ्लैट अनुसूचित जन-जाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे। यदि अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष फ्लैटों का निपटान अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों के पक्ष में कर दिया जाएगा और ऐसी ही व्यवस्था ठीक इसके विपरीत भी की जाएगी।
  - III. 1 % फ्लैट युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए आरक्षित होंगे।
  - IV. 1 % शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे, और
  - V. 1 % फ्लैट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे।

### टिप्पणी :

- क) यदि किसी भी श्रेणी में फ्लैटों की संख्या अंश में अर्थात् 0.5 से कम आती है तो पूर्णांक में बदलकर शून्य और यदि 0.5 से अधिक आती है तो पूर्णांक में बदलकर एक कर दिया जाएगा।

## 1. SCHEME

- I. The scheme is called "DDA Housing Scheme, 2006, of the Delhi Development Authority".
- II. The scheme shall remain open from 22.8.2006 to 12.10.2006.
- III. Detail of flats under this scheme is given in annexure 'A'. Flats are given on "As is where is Basis". All the flats are already constructed and are ready for occupation.

## 2. ELIGIBILITY

- I. The applicant must be a citizen of India.
- II. He/She should have attained the age of majority. For this an applicant should have completed 18 years of age as on the date of filling of the application for a flat.
- III. The applicant must not own any residential flat or plot in full or in part on lease hold or free hold basis in Delhi / New Delhi/ Delhi Cantonment either in his / her own name or in the name of his/her wife / husband or in the name of his / her minor or dependent children. If however, individual share of the applicant in the jointly owned plot or land under the residential house/flat is less than 66.9 sq. mtrs. (80 sq. yds.) he/she can apply under this scheme.
- IV. Only one person in a family can submit application. Family means spouse (if any), dependent/minor children, if any.
- V. One person can submit one application only.
- VI. A person who has already been allotted a plot or house/flat constructed by the DDA or any other land owning department even if it is less than 66.9 sq. mtrs. (80 sq. yds.) shall not be eligible to apply for another flat under this scheme.
- VII. There is no income limit. The applicant can apply according to his/her requirement and affordability.
- VIII. The applicant must have an account in any bank and the particulars must be filled in the application form.
- IX. Applicant must have Permanent Account Number allotted under the provisions of Income Tax Act and the same must be quoted on the application form.

## 3. RESERVATIONS

The details of reservations under this scheme are as given below :-

- I. 17.5 % of the flats for persons belonging to Scheduled Castes.
- II. 7.5% for applicants belonging to Scheduled Tribes. If adequate number of applications are not received from applicants belonging to ST category, remaining flats shall be disposed of in favour of applicants belonging to SC category and vice-versa.
- III. 1% for war widows.
- IV. 1% for physically handicapped persons; and
- V. 1% for ex-serviceman.

### Notes:

- a. In case no. of flats in respective category comes to fraction i.e. less than 0.5 it would be rounded off to zero and if it is 0.5 or more it would be rounded off to one.
- b. In case of application preferred in joint name under SC or ST reserved

- ख) यदि आवेदन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त नाम पर दिया गया है तो संयुक्त आवेदन उसी श्रेणी में या रक्त संबंध में या परिवार में होना चाहिए जैसा पैरा 2.IV में बताया गया है।
- ग) यदि आवेदन युद्ध में शहीद की विधवाओं, शारीरिक विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त नामों पर दिया गया है तो आवेदक पैरा 2.IV में बताए अनुसार परिवार के अंदर से या रक्त संबंधी होना चाहिए।
- घ) यदि उक्त उल्लिखित पांच श्रेणियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते, तो बचे हुए सभी फ्लैटों का प्रस्ताव गैर-आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए किया जाएगा।

#### 4. आवेदन कैसे करें

- I. इस योजना के अन्तर्गत एक फ्लैट के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को रु. 1,50,000/- की पंजीकरण राशि "दि.वि.प्रा. आवास" के पक्ष में दिल्ली / नई दिल्ली में देय किसी बैंक के बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का उपयोग करने वाले आवेदकों को 1,50,000/- के साथ 150/- रु. का एक अलग ड्राफ्ट / बैंकर चेक जमा करना होगा। बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट पूर्ण रूप से भरे हुए निर्धारित प्रपत्र पर संलग्नक (ब) में दर्शायी निर्धारित बैंक शाखाओं में से एक शाखा में योजना समाप्ति तक सभी कार्य दिवसों में जमा किया जाना है। विधिवत भरे हुए आवेदन-पत्र संलग्नक (ब) में दर्शाए गए बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा, योजना समाप्ति के 15 दिन पूर्व भेजे जा सकते हैं लिफाफे के ऊपर स्पष्टतया "दि.वि.प्रा. की आवास योजना-2006" के अन्तर्गत आवेदन, लिखा होना चाहिए। चेक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- II. आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी / अपने इच्छानुसार अपनी प्राथमिकता लिखने के लिए संलग्नक 'अ' में दिये हुए कोड को भरें एवं शेष बाक्स में (✖) का निशान लगाएं। यह मान लिया जाएगा कि प्राथमिकता देने से पहले आवेदक ने स्थल को देख लिया है। **यदि कोई बॉक्स खाली रहता है अथवा क्षेत्र हेतु प्राथमिकता नहीं दर्शायी जाती तो आवेदन-पत्र अपूर्ण माना जाएगा एवं निरस्त कर दिया जाएगा।** आवेदक द्वारा सेक्टर / पॉकेट / तल को बदलने के लिए किसी आवेदन पर दि.वि.प्रा. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- III. आवेदन-पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है। किसी भी आवेदक को आवेदन-पत्र में किसी विवरण को काटना, मिटाना या उसके ऊपर दोबारा नहीं लिखना चाहिए। यदि कोई आवेदक परिवर्तन करना चाहता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वह नया आवेदन-पत्र प्राप्त करके उसे भरें।
- IV. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही रद्द कर दिए जाएंगे।
- V. दि.वि.प्रा. की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति को भी इस योजना की पूरी पंजीकृत राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना के अन्तर्गत ज़ा निकल जाने पर आवेदक को पूर्व योजना की पंजीकरण राशि वापसी हेतु अलग से लिखित प्रार्थना पत्र देना होगा।

#### 5. जमा किए जाने वाले दस्तावेज़

##### I. आवेदन पत्र के साथ

##### क) सभी श्रेणियों के लिए :

- (i) आयकर विभाग द्वारा आबंटित पैन (स्थायी खाता संख्या) की स्व-सत्यापित प्रति।

category, the joint applicant should also belong to the same category or should be in the blood relation or should be within the family as defined in Para 2.IV.

- c. In case of application preferred in joint names under War Widows, Physically Handicapped, Ex-serviceman reserved category, the joint applicants should be from within the family as defined in Para 2.IV or should be in the blood relation.
- d. If requisite number of applications are not received from the above mentioned five categories, all remaining flats shall be offered to the persons of non-reserved categories.

#### 4. HOW TO APPLY

- I. The applicant applying for a flat under this scheme shall have to deposit the registration money of Rs 1,50,000/- by a Banker's Cheque/Demand Draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New Delhi. Applicants using downloaded form need to deposit separate draft / banker cheque of Rs.150/- in addition to Rs. 1,50,000/-. This Banker's Cheque/ Demand Draft has to be presented along with the application form completed in all respects on the prescribed form at one of the prescribed bank branches as mentioned in annexure B, on all working days during the currency of the scheme. Duly filled up application can also be sent by registered post addressed to the Branch Managers of nodal bank branches as mentioned in annexure B to reach not later than 15 days before the last date of closure of the scheme. The envelope should be clearly marked "Application under DDA Housing Scheme 2006". Payment by cheque will not be accepted.
- II. The applicant may give one or more preferences of his/her choice by writing locality codes, given in Annexure 'A', in appropriate box and put a cross (x) against the preferences not exercised. It is presumed that applicant has seen the locality before giving preference. **If any box is left blank or preferences are not given in prescribed locality codes, form would be considered incomplete and would be rejected.** No preference for sector/ pocket/ floor can be exercised by the applicant and no request for change of sector, pocket, floor shall be entertained by the DDA.
- III. The application form should be signed only by the applicant himself, who wants to get a flat under this Scheme. No applicant should make any cutting, erasing or overwriting in the application. In case a person desires to make changes, it is advised to obtain and fill up a fresh application.
- IV. No conditional application form will be considered. Incomplete application forms shall be rejected summarily without conveying any reason to the applicant.
- V. Persons holding a registration with DDA under any of its other schemes, can also apply under this scheme. They, however, have to make payment of Registration Amount of the scheme in full. They should separately make a written request for withdrawal of Registration Deposit of the earlier scheme once they are successful in this scheme.

#### 5. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED:

##### I ALONG WITH APPLICATION FORM

##### (A) FOR ALL CATEGORIES:

- (i) Self attested Copy of PAN (Permanent Account Number), allotted by Income Tax Department.

- (ii) आवास का प्रमाण, उदाहरण के लिए पासपोर्ट या पहचान पत्र या चुनाव पहचान पत्र या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या टेलीफोन बिल या बिजली के बिल या पानी का बिल या आवास कर रसीद या बैंक की खाता पुस्तिका (नाम और पते वाले पृष्ठ सहित) या सीजीएचएस कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।

## ख) आरक्षित श्रेणी के लिए

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त, किसी भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे;

- I. यदि आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्ध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट / सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- II. यदि आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- III. भूतपूर्व सैनिक के मामले में रक्षा मंत्रालय / रक्षा विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- IV. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है, तो उसे रक्षा मंत्रालय / रक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए "अपेक्षित प्रमाण-पत्र" की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- V. यदि आवेदक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके मामले पर आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा और उसके मामले को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

## II. फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के लिए

- क) आबंटन राशि जमा करने का भुगतान प्रमाण।
- ख) स्टाम्प कलेक्टर के कार्यालय से विधिवत स्टाम्प लगाया गया कन्वीएस डीड / कन्वीएस डीड का खाली फॉर्म आबंटियों को माँग पत्र के साथ भेजा जाएगा।
- ग) अनुलग्नक-सी, डी और ई में दिए गए अनुसार शपथ पत्र।
- घ) अनुलग्नक एफ और जी में दिए गए अनुसार वचन पत्र।
- ङ) अनुलग्नक-एच में दिए गए कब्जे के पत्र की विधिवत भरी गई चार प्रतियाँ।
- च) स्वयं की तथा पत्नी, यदि कोई हो, की फोटो और तीन हस्ताक्षर, अनुलग्नक-आई में दिए गए प्रपत्र के अनुसार विधिवत सत्यापित।
- छ) पहचान का तथा आवासीय पते का प्रमाण।

## 6. आवंटन का तरीका

सभी पात्र आवेदकों के मामलों में बेतरतीब संख्या निर्दिष्ट तकनीक (रैंडम नम्बर टैक्नीक) पर कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। ड्रा, पर्यवेक्षकों के पैनल की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

## 7. आवंटन का परिणाम

- I. ड्रा का परिणाम विकास सदन, डी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-23 स्थित दि.वि.प्रा. के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की वेबसाइट <http://www.dda.org.in> पर भी परिणाम देखे जा सकेंगे। परिणाम प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे।
- II. आवंटन एवं मांग-पत्र स्पीड पोस्ट / कोरियर / पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, यदि आवेदक को उपर्युक्त साधनों के द्वारा भेजे जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं होती तो परिणाम का पता लगाने की जिम्मेदारी पूर्णतया

- (ii) Proof of residence e.g. self attested copy of passport or identity card or election card or ration card or driving license or telephone bill or electricity bill or water bill or house tax receipt or bank pass book (page carrying name and address) or CGHS card.

## (B) FOR RESERVED CATEGORY

In addition to (A) above, persons applying under any of the reserved categories have to submit:-

- (i) An attested copy of the original certificate from the District Magistrate/Sub Divisional Magistrate of the area concerned in case the applicant belongs to the Reserved Category of SC/ST.
- (ii) An attested copy of the original certificate issued by the Medical Board of a Govt. Hospital in case the applicant is applying under the reserved category of physically handicapped persons.
- (iii) An attested copy of Discharge Certificate from the competent authority of Ministry of Defence / Dept. of Defence in case of Ex-serviceman.
- (iv) An attested copy of "Requisite Certificate" issued by the Ministry of Defence/Dept. of Defence, in case applicant comes under Reserved Category of war-widow.
- (v) An applicant not submitting the requisite documents will not be considered for allotment under the Reserved Category and will be treated under the General Category.

## II. FOR POSSESSION OF FLAT

- a. Payment proof of Allotment money deposited.
- b. Conveyance deeds duly stamped from the office of collector of stamps. Blank Conveyance deeds would be sent to allottees alongwith the demand letter.
- c. Affidavit as per proforma given in Annexure-C, D & E.
- d. Undertakings as per proforma given in Annexure-F & G.
- e. Duly filled possession letter in quadruplicate given in Annexure-H.
- f. Photograph and three signatures of self and wife, if any, duly attested as per proforma given in Annexure- I.
- g. Identity proof and address proof.

## 6. MODE OF ALLOTMENT

All the eligible applicants shall be considered for allotment through a computerized draw based on random number technique. The draw shall be held in the presence of panel of observers.

## 7. RESULT OF ALLOTMENT

- I. The results of the draw shall be displayed on the Notice Board of DDA at Vikas Sadan, D-Block, INA, New Delhi-23. In addition the result shall be displayed on the website of DDA with the address <http://www.dda.org.in>. The result will also be published in the leading National Newspapers.
- II. The allotment-cum-demand letters will be dispatched through Speed Post/Courier/Registered Post but it shall be the sole responsibility of the applicant to check the result of the draw if he/she does not get information despite the aforementioned means. In case applicant has given address of a

आवेदक की होगी। यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहाँ प्रवेश (कूरियर का) प्रतिबंधित है, तो वापस की गई राशि/मॉगपत्र सहित भेजे गए सभी संचार कूरियर के असफल रहने पर उपलब्ध तरीके से भेजे जाएंगे। आवेदक को ऐसे मामलों में अनुलग्नक बी में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारी से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। ऐसे मामलों में आवेदक/आवंटी को संचार (पत्र आदि) देर से मिलने/नहीं मिलने के लिए दि.वि.प्रा./बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे।

- III. प्राथमिकता के क्रम में 200 आवेदकों की एक अलग प्रतीक्षा सूची भी घोषित की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची मॉग पत्रों के जारी होने से केवल 9 माह तक वैध होगी। प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृतों के साथ असफल पंजीकृतों की पंजीकरण राशि वापस दे दी जाएगी। यद्यपि, ड्रा में जाने से पहले रिक्तियाँ भरने के लिए ऐसा होने पर ऐसे सभी पात्र प्रतीक्षा सूची वाले व्यक्तियों से पंजीकरण राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। उन्हें इसके लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा तथा जो ड्रा के पहले पंजीकरण राशि जमा कर देते हैं केवल उनका नाम शामिल किया जाएगा। पूर्व में तय की गई प्राथमिकता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को वापस किए गए फ्लैट आबंटित करने के लिए मॉग पत्र जारी करने की तिथि से 6 माह बाद केवल एक बार ड्रॉ आयोजित किया जाएगा। मॉग पत्र जारी होने के 6 माह के अंदर वापस किए गए फ्लैट ही प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृतों को आबंटित करने के लिए शामिल किए जाएंगे। यह प्रतीक्षा सूची केवल इसलिए बनाई गई है कि वापस किए गए फ्लैट (यदि कोई हों), खाली रखने के बजाय उन्हीं पंजीकृतों को आबंटित किए जाएँ और यह सूची 9 माह तक वैध रहेगी, इसलिए यदि प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृत व्यक्ति वापस किए गए फ्लैटों में से एक फ्लैट पाने में असफल रहते हैं तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। यदि वे सफल रहते हैं तो इस फ्लैट का मूल्य मॉग एवं आबंटन पत्र की तिथि पर फ्लैट का मूल्य होगा।

## 9. आवंटन की स्थिति

आवंटन फ्री-होल्ड आधार पर किया जाएगा। वैसे टाइटल तभी स्थानान्तरित होगी जब कन्वीयेंस डीड दि.वि.प्रा. द्वारा आवंटन के नाम निष्पादित कर दी जाएगी और आवंटन उसको सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से पंजीकृत कराने के उपरान्त प्राप्त कर लेगा।

## 10. पंजीकरण राशि पर ब्याज

- I. सफल आवेदकों के मामले में योजना बंद होने की अंतिम तिथि से तीन माह के अन्दर यदि ड्रा होता है, तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- II. असफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की अंतिम तिथि से तीन महीने के अन्दर यदि राशि वापिस हो जाती है तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- III. असफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की तिथि से तीन माह के अन्दर पंजीकरण राशि वापिस नहीं की जाती है तो पंजीकरण राशि पर योजना बंद होने के बाद, तीन महीनों के बाद की अवधि हेतु जिस माह में वापसी की गई है, उसमें पिछले माह की अंतिम तिथि तक 5% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- IV. आवेदक ड्रा होने के एक महीने बाद यदि अपना पैसा वापिस प्राप्त नहीं करते तो वे उस बैंक की शाखा में सम्पर्क करें जहाँ उन्होंने आवेदन जमा किया था। दि.वि.प्रा. द्वारा दिए गए पते पर आवेदकों के उपलब्ध न होने या अपूर्ण पता होने के कारण हुई देरी पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं होगा।

## 11. असफल आवेदकों की आवेदन राशि की वापसी

- I. दि.वि.प्रा. की दी गयी पंजीकरण राशि संलग्नक 'ब' में दर्शाये गए नोडल बैंक द्वारा जहाँ आवेदक ने आवेदन जमा किया हो, द्वारा वापिस की जाएगी।

place/office, where entry (of courier) is restricted, all communication including dispatch of refund cheque/ demand letter on failure of courier would be through available mode. Applicant is advised to contact nodal officer of the bank as given in Annexure B in such cases. DDA/Banks in such cases would not be responsible for delay/ non receipt of communication by applicant/allottee.

- III. A separate waiting list of 200 applicants will also be declared in order of priority. The waiting list will be valid only for 9 months from the date of issue of demand letters. The registration money of the wait listed registrants shall be refunded along with unsuccessful registrants. However, before going for the draw in case the same takes place for filling up the vacancies, all such eligible waitlisted shall be asked to deposit the registration money. 15 days time shall be given to them to do so and only those names shall be included who would be depositing their registration money prior to the draw. A draw will be held only once after six months, from date of issue of demand letters, for allotment of the surrendered flats to the wait listed registrants as per the priority decided initially. Only those flats which are surrendered within six months from date of issue of demand letters would be included for allotment to waitlisted registrants. The waiting list is created just to ensure that the surrendered flats (if any) are allotted to same registrants rather than keeping them vacant and the list will be valid only for 9 months, hence it doesn't create any right of the wait listed registrants if they fail to get a flat from the surrendered ones. If successful, the cost would be the cost of the flat on the date the demand cum-allotment letter is issued.

## 9. STATUS OF ALLOTTEE

All allotments shall be made on free hold basis. However, the title shall be transferred only when conveyance deed is executed in favour of the allottee and is registered in the office of Sub-Registrar.

## 10. INTEREST ON REGISTRATION MONEY

- I. No interest will be paid if the draw is held within three months from the last date of closure of the scheme in case of successful applicants.
- II. In case of unsuccessful applicants, no interest will be paid, if the amount is refunded within three months from the last date of the closure of the scheme.
- III. In case registration money is not refunded within three months from the closure of the scheme, in case of unsuccessful applicants, simple interest @ 5% will be paid on the registration money for the period beyond three months after the closure of the scheme up to the last date of the preceding month in which refund has been made.
- IV. Applicants not getting refund within one month from holding the draw are advised to contact the nodal branch of the bank in which application was deposited. DDA will not pay any interest in case of postal delay or applicant not available at given address or in case of incomplete address.

## 11. REFUND TO UNSUCCESSFUL APPLICANTS

- I. DDA will refund the registration money through the nodal



संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के बैंक भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी भी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। दि.वि.प्रा. या बैंक, योजना के बन्द होने के एक साल के बाद राशि वापसी, हानि/खण्डन, राशि वापसी, चेक के न भुनाने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

- II. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यदि आवेदन संयुक्त नाम में हो, वापसी केवल प्रथम आवेदक के नाम में की जाएगी और इसलिए केवल उसी का बैंक एकाउंट नम्बर दिया जाना चाहिए। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण बैंक पर चिह्नित होंगे इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण भरने होंगे।
- III. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी धनराशि वापस पाने के लिए बैंक के विकल्प पर यदि धनराशि ईसीएस के माध्यम से वापस ली जानी है तो जिस खाते में वे धनराशि जमा कराना चाहते हैं उसका एक रद्द बैंक संलग्न करें।
- IV. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां प्रवेश (कूरियर का) प्रतिबंधित है, वहां धनराशि वापस करने के बैंक/माँग पत्र भेजने सहित सभी संचार (पत्र आदि) कूरियर के असफल रहने पर उपलब्ध तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे मामलों में आवेदक को अनुलग्नक बी में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। इन मामलों में आवेदक/आबंटी द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए दि.वि.प्रा./बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

## 12. फ्लैट लौटाना/रद्द होना

- I. सफल आवेदकों के पास कब्जे का पत्र जारी किये जाने से पूर्व फ्लैटों को लौटाने का विकल्प होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान के न किये जाने की दशा में फ्लैट स्वतः रद्द हो जाएगा। इस उद्देश्य हेतु कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। दोनों मामलों में, जमा राशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी। हालांकि, निर्धारित रद्द करण प्रभार निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :

क्र. सं.	माँग पत्र की तिथि निम्नलिखित दिनों के अंदर वापस लौटाना/रद्द करना	रुपए
1.	माँग पत्र जारी होने से पहले	शून्य
2.	प्रथम दिन से	29 वें दिन तक
3.	30 वें दिन से	59 वें दिन तक
4.	60 वें दिन से	89 वें दिन तक
5.	90 वें दिन से	119 वें दिन तक
6.	120 वें दिन से	149 वें दिन तक
7.	150 वें दिन से	179 वें दिन तक
8.	180 वें दिन के बाद अर्थात् स्वतः रद्द होने के बाद	100000/-

- II. फ्लैट लौटाने/रद्द करवाने के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हैं :
  - क. आवंटित फ्लैट के संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किया गया मूल आवंटन एवं माँग-पत्र
  - ख. आवेदन-पत्र में दिए गए पते में परिवर्तन होने की दशा में आवास का प्रमाण
  - ग. आवेदन-पत्र में दिए गए बैंक विवरणों में परिवर्तन होने की दशा में पास बुक अथवा बैंक मैनेजर/प्रभारी के प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी।

branch, as indicated in Annexure 'B', of the Bank wherein the allottee had deposited the application form. The concerned Bank shall be responsible for the despatch of refund cheques to the unsuccessful applicants. The bank shall bear the responsibility for any loss on this account. DDA or the bank will not entertain any application for refund, loss/mutilation, non-encashment of refund cheque one year after the closure of the scheme.

- II. For getting refund, the applicant has to clearly mention his/her bank account number. In case the application is in joint name, refund will be made in the name of the first applicant only and, therefore, only his/her bank account number should be given. This account number and bank particulars will be printed on cheque, hence applicant should carefully fill these particulars in the Form.
- III. Applicant is advised to enclose one cancelled cheque of the account in which he wants refund money to be credited, in case refund is given through ECS, at the option of the bank, for faster refund.
- IV. In case applicant has given address of a place/office, where entry (of courier) is restricted, all communication including dispatch of refund cheque/demand letter would on failure of courier be through available mode. Applicant is advised to contact nodal officer of the bank as given in Annexure B in such cases. DDA/Banks in such cases would not be responsible for delay/ non receipt of communication by applicant/allottee.

## 12. SURRENDER/CANCELLATION

- I. The successful applicants shall have the options to surrender the flats before the issue of the possession letter. Flat will be automatically cancelled in case payments are not made within the prescribed period. No show cause notice shall be issued for the purpose. In both the cases, amount deposited is refundable without any interest. However, cancellation charges as prescribed below shall be recovered :

S. No.	Surrender/Cancellation within following days From the date of demand letter	Rupees
1.	Before issue of demand letter	nil
2.	1 <sup>st</sup> day	upto 29 <sup>th</sup> day
3.	30 <sup>th</sup> day	59 <sup>th</sup> day
4.	60 <sup>th</sup> day	89 <sup>th</sup> day
5.	90 <sup>th</sup> day	119 <sup>th</sup> day
6.	120 <sup>th</sup> day	149 <sup>th</sup> day
7.	150 <sup>th</sup> day	179 <sup>th</sup> day
8.	180 <sup>th</sup> day onwards i.e. date of automatic cancellation	100000/-

- II. Following documents are to be submitted for refund in case of Surrender/Cancellation:
  - a. Original allotment-cum-demand letter issued by DDA in respect of allotted flat.
  - b. Proof of residence in case there is change of address as given in the application form.

घ. नोट : फ्लैट के स्वयं रद्द होने की स्थिति में जैसा कि उक्त में दिया गया है, राशि की वापसी रद्द करने के प्रभार की कटौती के बाद की जाएगी और जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, जैसा ऊपर बताया गया है।

### 13. फ्लैटों की अनुमानित लागत

क. फ्लैटों की अनुमानित लागत संलग्नक 'अ' में दी गयी है, यदि फ्लैट दक्षिण दिल्ली में है तो उपरोक्त लागत में भूमि प्रीमियम, निर्माण व्यय तथा 20% सरचार्ज शामिल है। निर्माण व्यय में, विभागीय व्यय तथा निर्माणावधि तक का ब्याज शामिल है भूमि प्रीमियम हर वर्ष एक अप्रैल को जबकि निर्माण व्यय वर्ष में दो बाद एक अक्टूबर तथा एक अप्रैल को संशोधित किया जाता है। लागत में भिन्नता श्रेणी के भीतर फ्लैटों के सर्वत क्षेत्र में भिन्नता के कारण है। कुछ अन्य फ्लैटों को जोड़ा अथवा कम किया जा सकता है। (दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेकाधीन) यदि क्षेत्र में बदलाव होता है, तो नवीन जोड़े गये फ्लैटों की लागत तदनुसार बदलेगी।

ख. उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवंटी को फ्री होल्ड प्रभार देने की जिम्मेदारी है। वर्तमान अस्थायी फ्री होल्ड प्रभार संलग्नक 'अ' में दिए गए हैं। यदि दरें आगे संशोधित होती हैं तो लागू दरों को आवंटी द्वारा देना होगा।

### 14. भुगतान का तरीका

फ्लैटों का आवंटन केवल नकद खरीद आधार पर होगा।

### 15. भुगतान की अवधि

आवंटी को मांग-पत्र जारी किये जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर बिना ब्याज के भुगतान करना होगा। उसके बाद आवंटी को यह राशि 15% वार्षिक की दर से 31 मार्च को संगणित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज सहित अगले 90 दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। यदि भुगतान मांग-पत्र की तिथि से 180 दिनों के अन्दर नहीं किया जाता, तो फ्लैट्स का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई 'कारण बताओ नोटिस' नहीं दिया जाएगा। इस योजना में ऑटोमैटिक निरस्तीकरण के बाद भुगतान के लिए समय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एक बार भुगतान न करने पर फ्लैट रद्द हो जाता है तो उसके बाद कोई भी रेस्टोरेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवंटी अगर मांगी गयी रकम की अदायगी 180 दिनों अर्थात् ऑटोमैटिक रद्दकरण की सीमा में जमा की गई राशि बिना किसी ब्याज के निरस्तीकरण व्ययों की कमी करके वापिस कर दी जाएगी, जैसा पैरा 12 में उल्लेख किया गया है।

**टिप्पणी : सभी आवंटियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत किया जाता है कि ब्याज सहित पूरी राशि, यदि कोई है, ऑटोमैटिक रद्दकरण की तिथि से पहले जमा कर दी जाए।**

### 16. आवंटन के बाद आरम्भिक मांग राशि का तरीका

भुगतान "डीडीए हाउसिंग" के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय किसी भी बैंक के बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करना होगा। चेक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

डिमांड ड्राफ्ट आवंटन के क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित बैंकों में प्रस्तुत करना होगा :

c. Photocopy of passbook or bank manager's/ in charge certificate in case there is change in bank particulars from as given in the application form.

d. Note : In case flat is cancelled automatically as stated above, Refund will be made after deduction of cancellation charges as stated above and no interest would be paid on amount deposited.

### 13. DISPOSAL COST OF THE FLATS

a) The tentative cost of the flats is given in annexure 'A'. The above cost includes land premium and cost of construction and 20% surcharge on "land premium and cost of construction" in case of flats situated in South Delhi. Cost of construction includes departmental charges and interest during construction period. The land premium is normally revised every year on first April while cost of construction is revised twice during the year on every 1st Oct. and 1st April. The variation in cost within category is due to variation in plinth area of the flats. There may be some more flats added or deleted (at the discretion of DDA). If the area changes, the cost of newly added flats will change accordingly.

b) In addition to above, allottee is liable to pay Free hold charges. Present provisional, free hold charges are given in annexure 'A', if these rates are revised upward, difference will be claimed from the allottee.

### 14. MODE OF PAYMENT

The allotment of flats shall be made on Cash Down basis only.

### 15. PERIOD FOR PAYMENT

Allottee is liable to make the payment within 90 days from the date of issue of demand letter without interest. Thereafter, the allottee is liable to deposit the amount in not more than next 90 days along with interest @ 15% p.a. compounded as on 31st March. If the payment is not made within 180 days, including interest, from the date of demand letter, allotment of the flat will be automatically cancelled. No show cause notice/intimation will be given by the DDA for cancellation. No time extension for payment beyond the date of automatic cancellation would be given in this scheme. Also no restoration is allowed once the flat is automatically cancelled due to non payment. If the allottee fails to deposit the demanded amount within 180 days i.e. date of automatic cancellation, the amount deposited will be refunded without interest and after deduction of cancellation charges as mentioned in para 12.

**Note : All allottees are cautioned to ensure that full amount including interest, if any, is deposited before date of automatic cancellation.**

### 16. METHOD OF PAYMENT OF DEMANDED AMOUNT

The payment of amount will have to be made by a Banker's Cheque/Demand Draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New Delhi. Payment by cheque will not be accepted. This Banker's Cheque/Demand Draft has to be presented at the following banks depending on the area of the allotment

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक का नाम	शाखा	सम्पर्क करें
1.	रोहिणी और दक्षिण दिल्ली	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	के. जी. मार्ग, रोहिणी, वसंत कुज	हेल्प डेस्क फोन: 011-41699418 41699406
2.	अन्य क्षेत्र	यूटीआई बैंक लिमिटेड	दिल्ली / नई दिल्ली की सभी शाखाएँ	श्री सुधांशु गर्ग फोन : 011-29230490

S. No.	Area	Name of the bank	Branches	Contact persons
1.	Rohini & South Delhi	HDFC Bank Ltd.	KG Marg, Rohini, Vasant Kunj	Help Desk, Ph: 011-41699418, 41699406
2.	Other areas	UTI Bank Ltd.	All Branches in Delhi/ New Delhi.	Sh Sudhanshu Garg Ph: 011-29230490

### 17. बंधक रखने/ऋण लेने की सुविधा

आवंटी दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लिए बिना मकान को निम्नलिखित संस्थाओं के पास बंधक रखकर आवास ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि, जिस संस्था के पास प्लैट बंधक रखा गया है, उसके संबंध में जानकारी सम्बंधित उप निदेशक (आवास) दि.वि.प्रा. को अवश्य भेजी जानी चाहिए।

- भारत सरकार;
- राज्य सरकार;
- संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय;
- राष्ट्रीयकृत बैंक;
- भारतीय जीवन बीमा निगम;
- भारतीय साधारण बीमा निगम;
- आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.);
- सहकारी बैंक;
- दिल्ली नगर निगम;
- नई दिल्ली नगर पालिका परिषद;
- संयुक्त क्षेत्र की सभी कम्पनियां भले ही शेयर धारिता की प्रतिशतता कितनी भी हो।
- दिल्ली विश्वविद्यालय;
- सभी निजी अथवा सार्वजनिक संगठन जिन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा बंधक रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त हो एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवास वित्त कम्पनी के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
- भवन निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण देने वाली समस्त वित्तीय संस्थाएं, यदि वे पांच करोड़ रु. अथवा समान पूंजीगत आधार सहित अच्छी बाजार साख और प्रतिष्ठा वाली प्रमुख कम्पनियां हों।
- समस्त वित्तीय संस्थाएं/बैंक जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा नियमित किया जाता हो भले ही सरकार की अंशधारिता कितनी भी हो।
- समस्त सार्वजनिक कम्पनियां जिनका पूंजीगत आधार 5 करोड़ रुपये हो, बशर्ते कि उनके यहां अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण भत्ता प्रदान करने की योजना हो और ऐसी अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए बंधक रखना अपेक्षित हो, उदाहरण के लिए हडको।

### 18. प्लैटों का कब्जा

- आवंटी कब्जा लेने का हकदार केवल तभी होगा/होगी, जब कि उसने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हो, सभी देय राशियों का भुगतान कर

### 17. MORTGAGE/AVAILING LOAN

The allottee can avail housing loan by mortgaging the house to following institutions without prior approval of the DDA. However, an intimation regarding institution to which flat has been mortgaged must be sent to concerned Dy. Director (Housing), DDA.

- Government of India;
- State Governments;
- Union Territory Administration;
- Public Sector Undertakings/Autonomous bodies;
- Nationalized banks;
- Life Insurance Corporation of India;
- General Insurance Corporation of India;
- Housing Development Finance Corporation;
- Cooperative banks;
- MCD;
- NDMC;
- All Joint Sector companies, irrespective of the percentage of share holding;
- University of Delhi;
- All organizations, private or public, which receive the approval of Govt. of India, State Govt. for the purpose of general mortgage permission and are recognized by RBI as a Housing Finance Company;
- All Financial Institutions extending loans to individuals for house building, if they are leading companies with good market standing and repute say with a capital base of Rs. five crores or so.
- All Financial Institutions/Banks which are controlled by RBI or the Govt. of India irrespective of the percentage of Govt. share holding.
- All public companies with a capital base of Rs. 5 crores provided they have a scheme for granting HBA to their employees and the mortgage is required for grant of such advances e.g. HUDCO.

### 18. POSSESSION OF FLATS

- The allottees shall be entitled to take delivery of possession only after he/she has completed all the formalities, paid all dues and furnished/executed all the documents as required in the demand cum allotment letter or the Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.

दिया हो और मांग एवं आवंटन—पत्र अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम 1968 में यथा—अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत / निष्पादित कर दिये हों।

- ii. यदि आवंटी कब्जा—पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह के अन्दर प्लैट का कब्जा नहीं लेता है, तो उसे कब्जा—पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित दर पर निगरानी एवं देखभाल प्रभारों का भुगतान करना होगा। वर्तमान में निगरानी एवं देखभाल प्रभार तीन शयन कक्ष प्लैट्स हेतु रु. 1250/- प्रतिमाह तथा दो शयन कक्ष प्लैट्स एवं विस्तार होने योग्य आवासों हेतु रु. 1000/- प्रतिमाह है।
- iii. यदि वास्तविक कब्जा नहीं लिया जाता है तो आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। रद्दकरण से पहले कोई 'कारण बताओ' नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। तदपि, असाधारण मामलों में वास्तविक कब्जा 12 महीनों से 24 महीनों तक उक्तलिखित प्रभार के अतिरिक्त निर्धारित रेस्टोरेशन / रद्दकरण प्रभार की अदायगी पर दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दि.वि.प्रा. की पहले अनुमति लेनी होगी। प्लैट की लागत हेतु जमा की गई राशि पैनाल्टी काट कर रद्दकरण के मामले में देय होगी।
- iv. सम्पत्ति "जहां है जैसा है" के आधार पर दी जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण उपर्युक्त संदर्भित विनियम के पैरा 19 में परिभाषित को छोड़कर किसी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन के लिए अनुरोध अथवा किसी प्रकार की शिकायत, चाहे वह सम्पत्ति की परिस्थितियों के सम्बन्ध में हो, अथवा प्लैट की लागत, उसके डिजाइन, प्रयोग में लाई गई सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या अन्य किसी दोष से संबंधित हो, को स्वीकार नहीं करेगा।

## 19. हस्तांतरण अधिपत्र का निष्पादन

मांग—पत्र के साथ डीडीए द्वारा हस्तांतरण डीड (फ्री—होल्ड डीड) कागजात जारी किए जाएंगे। कब्जा पत्र के जारी करने से पहले कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, दिल्ली सरकार से स्टम्पित कराने के पश्चात् डीडीए के पास जमा करा दें। स्टैम्प ड्यूटी और अन्य खर्च आवंटी को अदा करने होंगे। आवंटी हस्तांतरण अधिपत्र का निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से, हस्तांतरित नहीं कर सकते। यदि प्राधिकरण की लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना ही विक्रय / हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का विक्रय / हस्तांतरण प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं होगा और प्राधिकरण आवंटन रद्द करने और प्लैट का पुनः कब्जा लेने का हकदार होगा।

## 20. दुरुपयोग, परिवर्धन और परिवर्तन आदि

प्लैट का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। आवंटी दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व में लिखित अनुमति लिए बिना आवासीय इकाई को उप—विभाजित करने अथवा इस इकाई को किसी अन्य आवासीय इकाई के साथ मिलाने अथवा प्लैट के ढांचे में कोई परिवर्धन / परिवर्तन करने का हकदार नहीं होगा।

## 21. सामूहिक भाग और सामूहिक सेवाओं आदि के रखरखाव का उत्तरदायित्व

प्रत्येक सफल आवेदक को प्लैट का कब्जा सौंपे जाने से पहले विधि के प्रावधान के अनुसार एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स का सदस्य बनना अपेक्षित है। ये संस्थाएँ इन आवासीय पॉकेटों में सामूहिक भागों और सामूहिक सेवाओं के रखरखाव के उद्देश्य से बनायी जाएंगी।

## 22. मिथ्या—कथन अथवा तथ्यों को छिपाना

यदि यह पाया गया कि आवेदक को इस विवरणिका के पैरा 2 में बताई गई

- ii. If the allottee does not take possession of the flat within 3 months from the date of issue of possession letter, he/she shall be liable to pay watch and ward charges at the prescribed rates beyond a period of 3 months from the date of issue of possession letter up to a maximum period of one year from the date of issue of possession letter. At present watch & ward charges are Rs 1250/- per month for three bed room flats and Rs 1000/- per month for two bed room flats & expendable houses.
- iii. If the physical possession is still not taken over then the allotment shall be automatically cancelled. No show cause notice shall be served before cancellation. However, in exceptional cases the physical possession can be given beyond 12 months and up to 24 months on payment of said charges in addition to prescribed restoration/ cancellation charges provided prior permission of DDA is obtained. Any amount deposited towards the cost of the flat shall be refundable without interest in such a case of cancellation after deduction of penalties.
- iv. The property is being offered on "as is where is basis". The DDA will not entertain any request for additions or alterations or any complaints, whatsoever regarding Property Circumstances except as defined in para 19 of the Regulation referred to above or about cost of flats, its design, the quality of material used, workmanship or any other defect.

## 19. EXECUTION OF CONVEYANCE DEED

Conveyance deed (Free Hold Deed) paper will be issued by the DDA along with the demand cum allotment letter. These are required to be stamped from the Collector of stamps, Govt. of NCT of Delhi and submitted to DDA before the possession letter is issued. Stamp duty and other expenses in this regard shall be borne by the allottees. Allottee shall not be entitled to transfer or otherwise part with the possession of the whole or any part of the flat without execution of conveyance deed. Provided that in the event of sale/transfer being made without execution of conveyance deed, such sale/transfer shall not be recognized by the Authority and it shall be open to the Authority to cancel the allotment and resume the flat.

## 20. MISUSE, ADDITIONS AND ALTERATIONS, ETC.

The flat shall be used only for residential purpose and cannot be put to other use. The allottee shall not be entitled to subdivide the dwelling unit or amalgamate it with any other dwelling unit or to make any structural additions/alterations without prior written permission of DDA.

## 21. RESPONSIBILITY FOR THE MAINTENANCE OF COMMON PORTIONS AND COMMON SERVICES ETC.

Every successful applicant is required to become a member of the Registered Agency/Association of Apartment Owners to be formed for the purpose of maintenance of common portions and common services for these housing pockets, in accordance with the provision of the law in this behalf before the possession of the flat is handed over to him/her.

## 22. MIS-REPRESENTATION OR SUPPRESSION OF FACTS:

If it is found that the applicant has applied although he was



शर्तों के अनुसार पात्रता नहीं है या गलत दस्तावेजों के आधार पर आरक्षण का दावा किया है या एक से अधिक आवेदन जमा किए हैं, जैसा पैरा 2 (iv और v) में दिया गया है अथवा गलत पैर बताने के साथ झूठा शपथपत्र/सूचना दी है अथवा आवेदन के या हस्तांतरण डीड के निष्पादन के समय या कब्जा लेते समय किसी बात को दबाया-छुपाया है तो इसके लिए बिना किसी कारण बताओ नोटिस के आवेदन/आवंटन स्वतः रद्द/निरस्त हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण के मामले में आवेदन/आवंटन के लिए जमा की गई पूरी राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

### 23. अन्य सामान्य शर्तें

- क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को, जब कभी वह आवश्यक समझे, अपने विवेक से योजना के किसी निबंधन एवं शर्त/खण्ड में परिवर्तन करने का अधिकार है।
- ख) दि.वि.प्रा. को योजना में प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार होगा। दि.वि.प्रा. को परिस्थितियों के अनुसार कुछ फ्लैटों/सभी फ्लैटों को वापस लेने का अधिकार होगा।
- ग) इस योजना के अंतर्गत आवंटन इस ब्रोशर, मांग एवं आवंटन पत्र और दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 के निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत होगा।
- घ) दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 की विनियम सं. 17 में निहित प्रावधान के अनुसार सभी दरें, शुल्क, टैक्स प्रभार, म्युनिसिपल कर का निर्धारण अथवा अन्य और अन्य प्रकार की लेवी, जो भी हो, आवंटनी अथवा पंजीकृत एजेन्सी/अपार्टमेंट स्वामी को एसोसिएशन, जैसा भी मामला हो, को वहन करने होंगे और आवंटनी अथवा पंजीकृत एजेंसी की अपार्टमेंट स्वामी की एसोसिएशन द्वारा देय होगा।
- ङ) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मामले का निपटारा केवल दिल्ली न्यायालयों में ही होगा।
- च) दि.वि.प्रा. के साथ आवंटन संबंध में सभी पत्राचार में, आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपने पत्र में आवेदन पत्र सं. और फाइल सं. आदि लिखें और ऐसे पत्र संबंधित उप-निदेशक, दि.वि.प्रा., डी-ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को संबोधित करें।
- छ) यदि कोई शिकायत है तो आवेदक सार्वजनिक सुनवाई के दिन निदेशक (आवास)-II, आयुक्त (आवास) अथवा उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. से संपर्क कर सकते हैं। तथापि, वित्तीय मामलों के संबंध में आवेदक को सलाह दी जाती है कि पहले वह वित्त सलाहकार (आवास) डी-ब्लॉक, प्रथम तल, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 से संपर्क करें।
- ज) फार्म स्वीकार करते समय आवेदक की पात्रता की जांच करना संभव नहीं है। अतः जो व्यक्ति पात्र नहीं हैं, वे अपने जोखिम पर पंजीकरण करवाएंगे। यदि बाद में पता चलता है कि योजना के अंतर्गत वे पात्र नहीं हैं तो वे फ्लैट आवंटन के हकदार नहीं होंगे।
- झ) आवेदक को अपना स्थायी खाता संख्या/जी.आई.आर. सं. और आई.टी. सर्किल/वार्ड/जिला लिखना चाहिए। इस सूचना के बिना आवेदन पत्र अधूरा समझा जाएगा और इसे रद्द किया जा सकता है।

not eligible as per conditions laid down in para 2 of this brochure or has claimed benefit of reservation on the basis of wrong documents or has submitted more than one application as given in para 2(IV & V) or has given false affidavit/ information including quoting wrong PAN number or suppressed any material fact whether at the time of application or at the time of taking over possession or at the time of execution of conveyance deed, the application(s)/ allotment(s) will be rejected/cancelled summarily without issuing any show cause notice for the same. In case of such cancellation, entire amount deposited against application(s)/ allotment(s) shall be forfeited

### 23. OTHER GENERAL CONDITIONS

- A. DDA reserves the right to alter any term and condition/ clause of the scheme at its discretion as and when considered necessary.
- B. DDA reserves the right to increase or decrease the number of flats on offer in the scheme. DDA also reserves the right to withdraw some/all flats depending on the circumstances.
- C. The allotment under the scheme shall be on the terms and conditions contained in this brochure, demand cum allotment letter and the DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.
- D. As per provisions contained in Regulations No. 17 of DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968, all rates, fees, taxes, charges, assessment of municipal or otherwise and other levies of whatsoever nature shall be borne by the allottee or the Registered Agency/ Association of Apartment Owners' as the case may be and shall be payable by the allottee or Association of Apartment Owners'/Registered Agency within the period specified in this behalf.
- E. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of Delhi Courts only.
- F. In all the correspondence within DDA regarding allotment etc., the applicants are advised to quote their application form no. and the file no. etc. and such correspondence be addressed to Dy. Director concerned, D-Block, Vikas Sadan, DDA, New Delhi-110023.
- G. In case of any grievance, the applicant can contact Director (H)-I / Director (H)-II, Commissioner (H) or the Vice-Chairman, DDA during their public hearing days. However, on financial issues the applicant is advised to first contact Financial Adviser (Housing), D-Block, 1st floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023.
- H. It is not possible to check the eligibility of applicant at the time of acceptance of the form. Therefore, those who are not eligible would register their name at their own risk and would not be entitled for allotment of flats if at a later stage it is detected that they are not eligible under the scheme.
- I. The applicant should mention his/her PAN/GIR No. and I.T Circle/Ward/District The application form without this information shall be considered incomplete and is liable to be rejected.

## DETAILS OF FLATS, TENTATIVE COST AND LOCALITY CODES

S. No.	Locality	Locality Code	No. of Flats	Approx. Range of Plinth Area (in Sqm)	Broad range of tentative cost (Rs lakhs)	Provisional freehold charges (Rs.)
<b>A THREE BEDROOM</b>						
1.	Sarita Vihar	11	12	115 to 145	38.7 to 46.1	1,04,000
2.	Dwarka, Sec 18B & 19B *M	12	900	121 to 126	30.8 to 32.3	65,100
3.	Dwarka, Sec 12 *M	13	2	125 to 130	32.9 to 34.1	65,100
4.	Motia Khan	14	66	140 to 158	49.5 to 55.8	1,04,000
<b>B TWO BEDROOM</b>						
1.	Sarita Vihar	21	17	85 to 112	27.4 to 34.8	65,100
2.	Dwarka, Sec 18B	22	500	68 to 87	16.9 to 21.3	44,300
3.	Dwarka Sec 18B & 19B *M	23	108	107 to 116	27.2 to 29.6	44,300
4.	Shalimar Bagh	24	400	74 to 84	19.2 to 22.5	65,100
5.	Rohini Sec 23 Pkt 6 & 7	25	70	76 to 86	18.9 to 21.3	65,100
6.	Rohini Sec 28	26	830	68 to 72	15.5 to 16.5	44,300
7.	Rohini Sec 21, 23 & 24	27	100	68 to 88	16.3 to 19.6	44,300
8.	Madipur	28	12	63 to 70	14.4 to 15.2	44,300
9.	Kalyan Vihar	29	56	71 to 87	16.0 to 19.2	44,300
10.	East of Loni Road	30	20	63 to 88	13.5 to 18.9	18,850
11.	Jahangirpuri #DS	31	15	69 to 71	23.7 to 28.4	44,300
12.	Jahangirpuri	32	40	63 to 71	13.6 to 19.3	44,300
13.	Sarai Khalil	33	20	67 to 78	14.5 to 17.1	44,300
14.	Narela	34	164	73 to 79	12.7 to 13.5	44,300
<b>C EXPANDABLE</b>						
1.	Rohini	41	35	35	13.2	44,300
2.	Bindapur/Nasirpur	42	90	51.46 to 51.68	21.2 to 21.3	44,300
3.	Narela	43	22	75.78 to 77.57	19.4 to 19.9	44,300

Flats in \*M - Multistorey with lift, #DS - Double Storey, Other Flats are of four/five storey.

Note : Above cost would be applicable for demand letters to be issued from 01.10.2006 to 31.03.2007. As per present policy 40% discount admissible in freehold charges to original allottees.

संलग्न-अ

## फ्लैटों का विवरण, अनुमानित लागत और स्थान कोड

क्र. सं.	स्थान	स्थान कोड	फ्लैटों की संख्या	प्लिंथ क्षेत्र की लगभग परास (वर्ग मीटर में)	अनुमानित लागत की स्थूल परास (लाख रु. में)	अनतिम परिवर्तन प्रभार (रु.)
<b>क तीन बेडरूम</b>						
1.	सरिता विहार	11	12	115 से 145	38.7 से 46.1	1,04,000
2.	द्वारका, सै. 18बी एवं 19बी *एम	12	900	121 से 126	30.8 से 32.3	65,100
3.	द्वारका, सै. 12 *एम	13	2	125 से 130	32.9 से 34.1	65,100
4.	मोतिया खान	14	66	140 से 158	49.5 से 55.8	1,04,000
<b>ख दो बेडरूम</b>						
1.	सरिता विहार	21	17	85 से 112	27.4 से 34.8	65,100
2.	द्वारका, सै. 18बी	22	500	68 से 87	16.9 से 21.3	44,300
3.	द्वारका, सै. 18बी एवं 19बी *एम	23	108	107 से 116	27.2 से 29.6	44,300
4.	शालीमार बाग	24	400	74 से 84	19.2 से 22.5	65,100
5.	रोहिणी सै. 23 पॉकेट 6 व 7	25	70	76 से 86	18.9 से 21.3	65,100
6.	रोहिणी सै. 28	26	830	68 से 72	15.5 से 16.5	44,300
7.	रोहिणी सै. 21, 23 एवं 24	27	100	68 से 88	16.3 से 19.6	44,300
8.	मादीपुर	28	12	63 से 70	14.4 से 15.2	44,300
9.	कल्याण विहार	29	56	71 से 87	16.0 से 19.2	44,300
10.	पूर्वी लोनी रोड	30	20	63 से 88	13.5 से 18.9	18,850
11.	जहाँगीर पुरी #डीएस	31	15	69 से 71	23.7 से 28.4	44,300
12.	जहाँगीर पुरी	32	40	63 से 71	13.6 से 19.3	44,300
13.	सराय खलील	33	20	67 से 78	14.5 से 17.1	44,300
14.	नरेला	34	164	73 से 79	12.7 से 13.5	44,300
<b>ग विस्तारणीय</b>						
1.	रोहिणी	41	35	35	13.2	44,300
2.	बिन्दापुर/नसीरपुर	42	90	51.46 से 51.68	21.2 से 21.3	44,300
3.	नरेला	43	22	75.78 से 77.57	19.4 से 19.9	44,300

\*एम लिफ्ट सहित बहुमंजिला इमारत में फ्लैट। डीएस का अर्थ है दो मंजिला, अन्य फ्लैट चार/पाँच मंजिला हैं।

टिप्पणी : उपरोक्त लागत दिनांक 01.10.2006 से 31.03.2007 के बीच जारी मांग पत्रों पर लागू होगी। वर्तमान नीति के अनुसार मूल आबंटित को फ्री होल्ड प्रभारों में 40 प्रतिशत की रियायत लागू होगी।

## नोडल बैंक शाखाओं की सूची

(रिफंड की प्राप्ति न होना, डिमांड पत्र की पूछताछ हेतु)

- क) यूटीआई बैंक लिमिटेड, ई-64, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 सम्पर्क करें : श्री सुधांशु गर्ग फोन : 011-29230490
- ख) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्रथम तल, कैलाश बिल्डिंग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 सम्पर्क करें : हेल्प लाइन डेस्क फोन: 011-41707131
- ग) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 सम्पर्क करें श्री सचिन नागपाल फोन: 011-41510638, 23357802
- घ) सीबीआई, आईएनए मार्केट, विकास सदन, नई दिल्ली। सम्पर्क करें : श्री शंकर सिंह, फोन: 011-24654235, 9313696813
- ड) एसबीआई, आईएनए मार्केट, विकास सदन, नई दिल्ली

## प्राधिकृत शाखाओं की सूची

(आवेदन पत्रों की बिक्री और प्राप्ति के लिए)

## एचडीएफसी बैंक की शाखाएं

1. अशोक विहार: बी-3/2, अशोक विहार, फेस-II, दिल्ली-52. 2. दरियागंज: 4686-92, 21-ए, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2. 3. द्वारिका: अग्रवाल सेन्ट्रल प्लाजा, प्लॉट नं. 11, सैक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-75. 4. ईस्ट पटेल नगर: 2/10 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-8. 5. गोपीनाथ बाजार: 1/172 गोपीनाथ बाजार, दिल्ली छावनी, दिल्ली-10. 6. ग्रेटर कैलाश-II एम-29 ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-48. 7. गुजरावाला टाउन : बी-10, गुजरावाला टाउन, पार्ट-I, रिंग रोड दिल्ली-9. 8. जनकपुरी: प्लॉट नं.-28, बी-लॉक कम्युनिटी सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-58. 9. लाजपत नगर: ए-9, रिंग रोड, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-24. 10. पीतमपुरा: एन एन टावर, 23 ए सामुदायिक केन्द्र, सड़क नं. 44, पीतमपुरा, दिल्ली-34. 11. पंजाबी बाग: 17, सेंट्रल मार्केट, वेस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली-26. 12. राजौरी गार्डन: जे-12/27, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-27. 13. रोहिणी: आरजी कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 4, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, सैक्टर-IX, रोहिणी, दिल्ली-85. 14. एसडीए: सी-5/32, एसडीए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-16. 15. साकेत: ई-143, साकेत, नई दिल्ली-17. 16. साउथ एक्सटेंशन: डी-9, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली-49. 17. वसन्त कुंज: साइट नं. 2, ओसीएफ पॉकेट, सैक्टर-सी, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-70. 18. वसन्त विहार: डी-1, शॉपिंग सेंटर नं.-2, वसन्त विहार, नई दिल्ली-57. 19. विकास मार्ग: जीएफ, लक्ष्मी दीप बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, विकास मार्ग, नई दिल्ली-92. 20. विवेक विहार: बी-5, अशोका निकेतन, मेन रोड, विवेक विहार-92. 21. विकास पुरी: डी-117, विकासपुरी, नई दिल्ली-18. 22. पश्चिम विहार: बी-2/10, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63. 23. शालीमार बाग: बीएन-11, शालीमार बाग, दिल्ली-88. 24. आनन्द निकेतन: सी-17, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली-21. 25. वसुन्धरा एन्क्लेव: मानव आश्रय बिल्डिंग, 11, सर्विस सेन्टर, डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने वसुन्धरा एन्क्लेव, दिल्ली-96. 26. रूप नगर: नं. 4/8, मेन रोड, रूप नगर, दिल्ली-7. 27. पहाड गंज, दुकान नं. एजी-8, प्लॉट नं. 2, आर जी कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली-55. 28. कर्नाट प्लेस, एच-69, बाहरी रिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-1. 29. आनन्द लोक, नं. 14, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-49. 30. मंदाकिनी, डी-7, अनारआई कॉम्प्लेक्स के पास, नई दिल्ली-19. 31. ग्रेटर कैलाश-I, बी-54ए, नई दिल्ली-48. 32. मयूर विहार, 10-एलएससी, बी-ब्लॉक, फेस-II, नई दिल्ली-91. 33. सरिता विहार, प्लॉट नं. 9, एच तथा जे ब्लॉक, लोकल शॉपिंग सेन्टर, नई दिल्ली-76. 34. करोल बाग, नं. 2212, गली नं. 64-65, जे-ब्लॉक, नाईवाला गुरुद्वारा रोड, नई दिल्ली-5. 35. होज खास, ए-24, नई दिल्ली-16. 36. रोहिणी, ब्लॉक नं. 5, गर्ग ट्रेड सेन्टर, सैक्टर-11, नई दिल्ली-85

## NAME OF NODAL BRANCHES

(for all queries regarding non receipt of refund, demand letter)

- a) UTI Bank Ltd., E-64, Greater Kailash-I, New Delhi-48, Contact: Sh Sudhanshu Garg. Phone No. 011-29230490
- b) HDFC Bank Ltd., FIG-Ops; 1<sup>st</sup> Floor, Kailash Building, 26 K.G. Marg, New Delhi-110001. Contact: Helpline Desk. Phone No. 011-41707131
- c) IDBI Bank, 19, KG Marg, New Delhi-1. Contact: Mr Sachin Nagpal. Phone No. 011-41510638, 23357802
- d) CBI, INA Market, Vikas Sadan, New Delhi. Contact: Shri Shankar Singh. Phone No. : 011-24654235, 9313696813
- E) SBI, INA Market, Vikas Sadan, New Delhi

## LIST OF AUTHORISED BRANCHES

(for sale and receipt of application forms)

## HDFC BANK: BRANCHES

1. Ashok Vihar, B-3/2, Ashok Vihar, Phase-II Delhi-52. 2. Darya Ganj 4686-92, 21-A, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-2. 3. Dwarka, Aggarwal Central Plaza, Plot No 11, Sector-5, Dwarka, New Delhi-75. 4. East Patel Nagar, 2/10 East Patel Nagar, New Delhi-8. 5. Gopinath Bazar, 1/72, Gopinath Bazar, Delhi Cantonement, Delhi-10. 6. Greater Kailash-II, M-29, Greater Kailash-II, New Delhi-48. 7. Gujranwala Town, B-10, Gujranwala Town Part I, Ring Road, Delhi-9. 8. Janakpuri, Plot No. 28, Block-B, Community Centre, Janakpuri, New Delhi-58. 9. Lajpat Nagar, A-9, Ring Road, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-24. 10. Pitampura, NN Tower, 23 A Community Centre, Road No. 44, Pitampura, Delhi-34. 11. Punjabi Bagh, 17, Central Market, West Punjabi Bagh, Delhi-26. 12. Rajouri Garden, J-12/27, Rajouri Garden, New Delhi-27. 13. Rohini, RG Complex, Plot No 4, DDA Community Center, Sector IX, Rohini, Delhi-85. 14. SDA, C-5/32 Safdarjung Development Area, Commercial Complex, New Delhi-16. 15. Saket, E-143, Saket, New Delhi-17. 16. South Extension, D-9, South Extension, Part II, New Delhi-49. 17. Vasant Kunj, Site No 2, OCF-Pocket, Sector C, Vasant Kunj, New Delhi-70. 18. Vasant Vihar, D-1, Shopping Centre No 2, Vasant Vihar, New Delhi-57. 19. Vikas Marg, GF, Laxmi Deep Building, Laxmi Nagar Dist Centre, Vikas Marg, Delhi-92. 20. Vivek Vihar, B-5, Ashoka Niketan Main Road, Vivek Vihar, Delhi-92. 21. Vikas Puri, D-117, Vikas Puri, New Delhi-18. 22. Paschim Vihar, B-2/10, Paschim Vihar, New Delhi-63. 23. Shalimar Bagh, BN-11, Shalimar Bagh, Delhi-88. 24. Anand Niketan, C-17, Anand Niketan, New Delhi-21. 25. Vasundhara Enclave, Manav Ashray Bldg, 11 Service Centre, Opp DDA Sports Complex, Vasundhara Enclave, Delhi-96. 26. Roop Nagar, 4/8, Main Road, Roop Nagar, Delhi-7. 27. Paharganj, Shop No. AG-8, Plot No. 2, RG Complex, Community Center, N. Delhi-55. 28. Connaught Place, H-69, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi-1. 29. Anand Lok, No.14, August Kranti Marg, New Delhi-49. 30. Mandakini, 7-D, Near NRI Complex, New Delhi-19. 31. Greater Kailash-I, B-54A, New Delhi-48. 32. Mayur Vihar, 10-LSC, B-Block, Mayur Vihar, Phase-II, New Delhi-91. 33. Sarita Vihar, Plot No. 9, H&J Block, Local Shopping Center, New Delhi-76. 34. Karol Bagh, No. 2212, Gali No. 64-65, J-Block, Naiwala Gurudwara Road, New Delhi-5. 35. Hauz Khas, A-24, New Delhi-16. 36. Rohini, Block No. 5, Garg Trade Center, Rohini Sector-XI, New Delhi-85.

## यूटीआई बैंक : शाखाएं

1. ग्रेटर कैलाश-1 ई-64, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-48. 2. नई दिल्ली मेन: 148, स्टेट्समेन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1 3. ग्रीन पार्क: के-12, ग्रीन पार्क मेन मार्केट, नई दिल्ली-16 4. नोएडा: बी-2 और बी-3, सैक्टर-16, नोएडा (उ. प्र.)-201301 5. बल्लभगढ़: फरीदाबाद, हरियाणा, प्लॉट नं. 40, एससीओ, सैक्टर-7, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, फरीदाबाद-121006 6. पीतमपुरा: प्लॉट नं. 6, एलएससी, डीपी ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-34 7. शक्ति नगर: प्लॉट नं. 1, अमर भवन, 11433, जीटी करनाल रोड, शक्ति नगर, दिल्ली-7. 8. स्वास्थ्य विहार: स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-92. 9. गुडगांव: एससीओ 13, सैक्टर 14, हुडा ऑफिस के पास, अरबन एस्टेट, गुडगांव-122001. 10. राजौरी गार्डन: ए-11, विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन के सामने, नई दिल्ली-27 11. विकासपुरी: जे-3, विकासपुरी, नई दिल्ली-16 12. गाजियाबाद, प्लॉट नं. 3, एन/30, अम्बेडकर रोड, नेहरू नगर, गाजियाबाद (यूपी)-201001. 13. पश्चिम विहार: बी-2/11, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63. 14. वसंत कुंज: प्लॉट नं. 2, ग्राउंड फ्लोर, सेंटर फार सोशल रिसर्च, नेलसन मंडेला रोड, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-70 15. खान मार्केट: दुकान नं. 2, ए और 2 बी, खान मार्केट, नई दिल्ली-3 16. लाजपत नगर: बी-6, लाजपत नगर-II नई दिल्ली-24 17. डीएलएफ गुडगांव (हरियाणा): एसजी-21 और 22, गलियारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डीएलएफ फेस-IV गुडगांव-122002 18. पालम (दिल्ली): डब्ल्यू जेड-24ए, पालम गांव, नई दिल्ली-45 19. साकेत: ई-146, साकेत, नई दिल्ली-17 20. कृष्णा नगर, एफ-2/25, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-51 21. मालवीय नगर: डी-81, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17, 22. जनकपुरी: सी-3/21, जनकपुरी, नई दिल्ली-58 23. अशोक विहार: सी-3, अशोक विहार, फेस-I, दिल्ली-52. 24. करोल बाग: पश्चिमी दिल्ली 6/83, पदम सिंह रोड, पश्चिमी एक्सटेंशन एरिया, करोल बाग, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-5 25. राजेन्द्र नगर, 78, पुरानी राजेन्द्र नगर मार्केट, पुराना राजेन्द्र नगर, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-60. 26. कीर्ति नगर: एफ-43, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-15 27. चांदनी चौक, बी 230, 231, 232 और ए 230 कोरोनाशन होटल बिल्डिंग, चांदनी चौक, दिल्ली-6. 28. शालीमार बाग: एएम-196, शालीमार बाग, नई दिल्ली-88 29. ग्रेटर कैलाश-II एस-266, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-48. 30. द्वारिका, दुकान नं. जी 03, जी 04, जी 05, जी 06 और पहला तल, एचएल आरकेड सैक्टर-5, (एमएलयू) प्लॉट नं. 14, द्वारिका, नई दिल्ली-75. 31. दरियागंज, 18, नेता सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-2. 32. मयूर विहार: प्लॉट नं. 22, एलएससी, मयूर विहार फेस-II, नई दिल्ली-91. 33. डिफेंस कॉलोनी, बी-81, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-24. 34. नजफगढ़, खसरा नं. 24/17/2 और 24/17/3 म्युनिसिपल नं. 1643, मेन रोड, नजफगढ़, नजफगढ़-43. 35. सैक्टर-18, के 21 और के 22, सैक्टर-18 नोएडा-201301. 36. रोहिणी, प्लॉट नं. 5, विकास सूर्या प्लाजा, कम्युनिटी सेंटर, डीसी चौक, सैक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-85 37. कडकड़डूमा, प्लॉट नं. 4, आदित्य कॉपोरेट प्लाजा, कम्युनिटी सेंटर कडकड़डूमा, नई दिल्ली-92.

## आईडीबीआई बैंक: शाखाएं

1. चांदनी चौक, 300-307, मर्कटाइल बिल्डिंग, मेन फतेहपुरी चौक, चांदनी चौक, दिल्ली-6 2. द्वारिका, जी 1 और जी 6, प्लॉट नं. 3, आशीर्वाद चौक, अग्रवाल मॉल, सैक्टर-5, नई दिल्ली-75. 3. फरीदाबाद, एससीओ-99, सैक्टर-16, फरीदाबाद-121002. 4. गाजियाबाद: सी-78, सुदेश प्लाजा, राज नगर, जिला केन्द्र, राज नगर, गाजियाबाद-201001 (यूपी.) 5. नेहरू प्लेस, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19. 6. कस्तूरबा गांधी मार्ग :सूर्य किरण बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 19, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-1. 7. प्रीत विहार, 11 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, प्रीत विहार, दिल्ली-92. 8. राजौरी गार्डन :जे-13/37, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-27. 9. रोहिणी, जी-567, प्लॉट नं. 18, विकास सूर्य शॉपिंग मॉल, सैक्टर-3, एम-2 के के पास, रोहिणी, दिल्ली-85. 10. साकेत, ई-29, पीवीआर रोड, साकेत, नई दिल्ली-17. 11. सिरी फोर्ट 1/6, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली-49.

## स्टेट बैंक ऑफ इंडिया : शाखा

आईएनए मार्केट, विकास सदन, नई दिल्ली

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया : शाखा

आईएनए मार्केट, विकास सदन, नई दिल्ली

## UTI BANK: BRANCHES

1. Greater Kailash-1, E-64, Greater Kailash-1, New Delhi-48. 2. Barakhamba Road, 148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-1. 3. Green Park, K-12, Green Park Main Market, New Delhi-16. 4. NOIDA, B2-B3, Sector-16, NOIDA, (UP), Pin-201301. 5. Ballabhgarh, Plot No. 40, SCO, Sector-7, Ballabhgarh, Faridabad-121006. 6. Pitampura, Plot No. 6, Local Shopping Centre, DP Block, Pitampura, Delhi-34. 7. Shakti Nagar, Plot No.1, Amar Bhavan, 11433, G.T. Karnal Road, Shakti Nagar, Delhi-7. 8. Swasthya Vihar, A-13, Swasthya Vihar, Vikas Marg, Delhi-92. 9. Gurgaon, SCO-13, Sector-14, Near Huda Office, Urban Estate, Gurgaon-122001. 10. Rajouri Garden, A-11, Vishal Enclave, Opp. Rajouri Garden, New Delhi-27. 11. Vikaspuri, J-3, Vikaspuri, New Delhi-18. 12. Ghaziabad, Plot No. 3, N-30, Ambedkar Road, Nehru Nagar, Ghaziabad (U.P.) Ghaziabad-201001. 13. Paschim Vihar, B-2/11, Paschim Vihar, New Delhi-63. 14. Vasant Kunj Plot No.2 Centre For Social Research Bdg., Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-70. 15. Khan Market, Shop No. 2A & 2B, Khan Market, New Delhi-3. 16. Lajpat Nagar, B-6, Lajpat Nagar-II, New Delhi-24. 17. DLF-Gurgaon (Haryana), SG - 21 & 22, Galleria Shopping Mall, DLF Phase-IV, Gurgaon-122002. 18. Palam (Delhi), WZ-24-A, Palam Village, New Delhi-45. 19. Saket, E-146, Saket, New Delhi-17. 20. Krishna Nagar, F-2/25, Krishna Nagar, East Delhi, Delhi-51. 21. Malviya Nagar, D-81, Malviya Nagar, New Delhi-17. 22. Janakpuri, C-3/21, Janakpuri, New Delhi-58. 23. Ashok Vihar, C-3, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-52. 24. Karol Bagh, 6/83, Padam Singh Road, Western Extn. Area, Karol Bagh, West Delhi, New Delhi-5. 25. Rajinder Nagar, 78, Old Rajinder Nagar Market, Old Rajinder Nagar, West Delhi, New Delhi-60. 26. Kirti Nagar, F-43, Kirti Nagar, New Delhi-15. 27. Chandni Chowk, 230B, 231, 232 & 230A Coronation Hotel Building, Chandni Chowk, Delhi-6. 28. Shalimar Bagh, AM-196, Shalimar Bagh, Delhi-88. 29. Greater Kailash-II, S-266, Greater Kailash-II, New Delhi-48. 30. Dwarka, Shop No. G03, G04, G05, G06 & 1st Floor, HL Arcade Sector-5 (MLU) Plot No. 14, Dwarka, New Delhi-75. 31. Daryaganj, 18, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi-2. 32. Mayur Vihar, Plot No. 22, LSC, Mayur Vihar, Phase-II, New Delhi-91. 33. Defence Colony, B-81, Defence Colony, New Delhi-24. 34. Nazafgarh, Khasra No. 24/17/2 and 24/17/3, Municipal No. 1643, Main Road, Nazafgarh, Nazafgarh-43. 35. Sector-18, K-21 & K-22, Sector-18, Noida-201301. 36. Rohini, Plot No. 5, Vikas Surya Plaza, Community Centre, DC Chowk, Sector-9, Rohini, Delhi-85. 37. Karkardooma, Plot No. 4, Aditya Corporate Plaza, Community Centre, Karkardooma, New Delhi-92.

## IDBI BANK: BRANCHES

1. Chandini Chowk, 300-307, Mercantile Building, Main Fatehpuri Chowk, Chandi Chowk, Delhi-6. 2. Dwarka, G1 & G6, Plot No. 3 Ashriwad Chowk, Aggarwal Mall, Sector-5, New Delhi-75. 3. Faridabad, SCO-99, Sector-16, Faridabad-121002. 4. Ghaziabad, C-78, Sudesh Plaza, Raj Nagar, District Centre, Raj Nagar, Ghaziabad-201001 (UP). 5. Nehru Place, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-19. 6. K. G. Marg, Surya Kiran Building, Ground Floor, 19, K. G. Marg, New Delhi-1. 7. Preet Vihar, 11 New Rajdhani Enclave, Vikas Marg, Preet Vihar, Delhi-92. 8. Rajouri Garden, J-13/37, Rajouri Garden, New Delhi-27. 9. Rohini, G-567, Plot No. 18, Vikash Surya Shopping Mall, Sector-3, Near M2K Rohini, Delhi-85. 10. Saket, E-29, PVR Road, Saket, New Delhi-17. 11. Sirifort, 1/6, Sirifort Institutional Area, Khel Gaon Marg, New Delhi-49.

## STATE BANK OF INDIA : BRANCH

INA Market, Vikas Sadan, New Delhi.

## CENTRAL BANK OF INDIA : BRANCH

INA Market, Vikas Sadan, New Delhi.



### शपथ पत्र

**टिप्पणी:** यह शपथ-पत्र 10/- रु. के नॉन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब-जज / नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टॉम्प भी लगायें।

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ एतद्वारा निम्न प्रकार निश्चय पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ।

1. मैं भारत का नागरिक हूँ।
2. मेरे अथवा मेरी पत्नी / पति अथवा मेरे अवयस्क बच्चों अथवा मेरे किसी अन्य आश्रित सम्बन्धी के पास दिल्ली, नई दिल्ली अथवा दिल्ली छावनी के नगरीय क्षेत्र में पट्टा आधार पर अथवा फ्री होल्ड आधार पर पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई आवासीय भू-खण्ड अथवा गृह नहीं है।
3. मैं केवल एक रिहायशी इकाई के आबंटन के लिए आवेदन कर रहा हूँ।
4. पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय मैं व्यस्क था। मेरी जन्म तिथि \_\_\_\_\_ है।
5. मैंने न्यू पैटर्न आवासीय पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत अपने पंजीकरण को रोहिणी आवासीय योजना में बदला नहीं है तथा न ही न्यू पैटर्न आवासीय पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत पंजीकरण को रद्द ही करवाया है।
6. मैंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक \_\_\_\_\_ को निकाली गई लाटरी में मेरी पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_ के तहत \_\_\_\_\_ क्षेत्र के \_\_\_\_\_ ब्लॉक, मैं आबंटित रिहायशी प्लेट सं. \_\_\_\_\_ के किसी खण्ड या पूरे क्षेत्र को बेचा, हस्तांतरित या उसके कब्जे के लिए कोई अनुबन्ध नहीं किया है। मैंने किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई बिक्री अनुबन्ध मुख्तारनामा आदि भी नहीं किया है।
7. कि मैंने \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री / पत्नी \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ ने दि.वि.प्रा. आवास योजना-2006 के अन्तर्गत एम.आई.जी. / उच्च श्रेणी वर्ग के लिए आवेदन संख्या \_\_\_\_\_ द्वारा आवेदन किया था और मुझे पत्र संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा \_\_\_\_\_ आवासीय योजना में फ्लैट संख्या \_\_\_\_\_ आबंटित किया गया था और मैं फ्लैट का कब्जा पाने का हकदार हूँ।

सत्यापन:

**शपथकर्ता**

मैं \_\_\_\_\_ निश्चयपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार ऊपर पैरा 1 से 7 में लिखी बातें सत्य हैं तथा उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान

दिनांक

**शपथकर्ता**

**ANNEXURE-C**

### AFFIDAVIT

(NOTE: This Affidavit should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Sh/Smt. \_\_\_\_\_ S/o/D/o/W/o/Shri \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ aforesaid solemnly affirm and state as under:

1. I am a citizen of India.
2. I or my wife/husband or any of my dependent relations including minor children do not own in full or part on free hold or lease hold basis any residential plot or house in the Urban area of Delhi, New Delhi or Delhi Cantt.
3. I am applying for allotment of only one dwelling unit.
4. I have attained the age of majority at the time of applying for registration. My date of Birth is \_\_\_\_\_
5. I have not got any registration under the New Pattern Housing Regn. Scheme, 1979 transferred to Rohini Residential Scheme in the past and have not got the registration under New Pattern Housing Registration Scheme 1979 cancelled.
6. I have not sold, transferred, assigned or parted with the possession of the whole or any part of the residential flat No. \_\_\_\_\_ allotted to me against my Registration No. \_\_\_\_\_ in the draw held on \_\_\_\_\_ by the DDA. That I have not executed any Sale Agreement, Power of Attorney, Agreement of Sale or agreement in favour of anybody.
7. That I, \_\_\_\_\_ S/o D/o W/o \_\_\_\_\_  
R/o \_\_\_\_\_  
applied for registration of MIG/HIG under DDA Housing Scheme-2006 \_\_\_\_\_, vide application No. \_\_\_\_\_ and that I have been allotted a flat No. \_\_\_\_\_ vide allotment letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_. That I am entitled for possession of the flat.

VERIFICATION :

**DEPONENT**

I, \_\_\_\_\_, do hereby verify that the facts mentioned in Paras 1 to 7 above are correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and nothing material has been concealed.

Place: \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

**DEPONENT**

## पति की ओर से शपथपत्र

**टिप्पणी:** यह शपथ-पत्र 10/- रु. के नॉन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब-जज / नोटरी पब्लिक से स्त्यापित करवायें तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टॉम्प भी लगायें।

श्री \_\_\_\_\_ पुत्र \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ का शपथपत्र। मैं उपरोक्त की विधिवत पुष्टि करता हूँ और निम्नानुसार जानकारी देता हूँ:

1. कि श्रीमती \_\_\_\_\_ पुत्री \_\_\_\_\_ मेरी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं।

सत्यापन:

**अभिसाक्षी**

मैं, \_\_\_\_\_ एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 में दिए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और कोई बात छुपाई नहीं गई है।

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

**अभिसाक्षी**

**ANNEXURE-D**

## AFFIDAVIT FROM HUSBAND

(NOTE: This Affidavit should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Sh. \_\_\_\_\_ S/o \_\_\_\_\_,

R/o \_\_\_\_\_.

I aforesaid solemnly affirm and declare as under:

1. That Smt. \_\_\_\_\_, D/o \_\_\_\_\_, is my legally wedded wife.

**DEPONENT**

VERIFICATION:

I, \_\_\_\_\_, solemnly affirm and say that facts mentioned in Para 1 above is correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and nothing material has been concealed.

**DEPONENT**

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

## पत्नी की ओर से शपथपत्र

**टिप्पणी:** यह शपथ-पत्र 10/- रु. के नान-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब-जज / नोटरी पब्लिक से स्त्यापित करवायें तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टॉम्प भी लगायें।

श्रीमती \_\_\_\_\_ पत्नी \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ का शपथपत्र। मैं उपरोक्त की विधिवत पुष्टि करती हूँ और निम्नानुसार जानकारी देती हूँ:

1. कि श्री \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_ मेरे कानूनी रूप से विवाहित पति हैं।

सत्यापन:

**अभिसाक्षी**

मैं, \_\_\_\_\_ एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 में दिए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और कोई बात छुपाई नहीं गई है।

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

**अभिसाक्षी**

**ANNEXURE - E**

## AFFIDAVIT FROM WIFE

(NOTE: This Affidavit should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Smt. \_\_\_\_\_ W/o \_\_\_\_\_, R/o \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ I aforesaid solemnly affirm and declare as under:

1. That Shri \_\_\_\_\_, S/o \_\_\_\_\_, is my legally wedded husband.

**DEPONENT**

VERIFICATION:

I, \_\_\_\_\_, solemnly affirm and say that facts mentioned in Para 1 above is correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and no material has been concealed.

**DEPONENT**

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**वचन-बंध**

**टिप्पणी:** यह शपथ-पत्र 10/- रु. के नॉन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब-जज / नोटरी पब्लिक से स्थापित करवायें तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टॉम्प भी लगायें।

जबकि मुझे अर्थात् \_\_\_\_\_ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी \_\_\_\_\_

श्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

को दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबन्ध और निपटान) विनियम, 1968 (जिसे आगे उक्त विनियम कहा गया है) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को किए गए आवेदन के आधार पर \_\_\_\_\_ नामक स्थान के \_\_\_\_\_ ब्लॉक में \_\_\_\_\_ मंजिल फ्लैट सं. \_\_\_\_\_ आबंटित किया गया है (जिसे आगे संक्षेप में फ्लैट कहा गया है)।

और जबकि उक्त विनियमों के अन्तर्गत मुझे फ्लैट का कब्जा सौंपने से पहले मेरे लिए फ्लैट के साथ लगे हुए सामान्य भागों और सेवाओं के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ एक एजेन्सी या गठन और पंजीकरण कराना, फ्लैट का हस्तांतरण विलेख और भूमि का संयुक्त पट्टा विलेख फ्लैट के अनुलम्बन-पत्र का किराया खरीद किरायेदारी करार निष्पादित कराना बाध्यकर होगा।

और जबकि उक्त विनियमों के अन्तर्गत पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने और विनियमों में निर्धारित दस्तावेजों का निष्पादन और पंजीकरण कराने से पूर्व अपने हित में मैंने फ्लैट का कब्जा लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन किया है।

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ एतद्वारा वचन देता हूँ कि आबंटित फ्लैट का कब्जा पहले दिए जाने की स्थिति में उन सभी

निबंधनों और शर्तों का पालन करूंगा जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबन्ध और निपटान) विनियम 1968 में निर्धारित है, जिसमें इस विनियम में निर्धारित दस्तावेजों की शर्तें शामिल हैं या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैट के किराया खरीद किरायेदारी करार, हस्तांतरण विलेख और फ्लैटों के अनुलग्न क्षेत्र के अंतर्गत भूमि के संयुक्त पट्टा विलेख में निर्धारित की जाएं और मैं उन पर हस्ताक्षर करूंगा और उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ निष्पादित करूंगा तथा उनका पंजीकरण फ्लैट सौंपने की तिथि से 90 दिन के अन्दर या उस बढ़ाई गई अवधि में उक्त विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित तरीके से अपने जोखिम और खर्चों पर करवा दूंगा जिसकी अनुमति दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दी जाए और 90 दिन की उक्त अवधि या उस बढ़ाई गई अवधि के दौरान, (जैसा भी स्वीकृत हो) आबंटित फ्लैट के साथ संलग्न सामान्य सेवाओं के रखरखाव की देखभाल कराने के लिए जिम्मेदार होऊंगा।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं उक्त विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित पंजीकृत एजेन्सी का गठन करूंगा और उसका सदस्य बनूंगा तथा उसके लिए बनाए गए आदर्श संविधान का पालन करूंगा जिसे मैंने पढ़ लिया है और उसे समझ लिया है।

मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व और लिखित अनुमति लिए बिना आबंटित आवासीय इकाई में कोई परिवर्द्धन और परिवर्तन न करने का वचन देता हूँ। यदि मैं इसमें दिए गए वचन को पूरा करने में असमर्थ रहा तो दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय इकाई का आबंटन रद्द करने और कब्जा वापिस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

सन् 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ मास के \_\_\_\_\_ दिन निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में मेरे द्वारा हस्ताक्षर कि गये।

1. साक्षी
2. साक्षी

**आबंटिती**

**ANNEXURE-F**

**UNDERTAKING**

(NOTE: This Undertaking should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

WHEREAS, I, \_\_\_\_\_, S/o, W/o D/o, \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ on an application made to the Delhi Development Authority under the Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968 (hereinafter called the said Regulation) have been allotted a \_\_\_\_\_ (hereinafter called the Flat).

AND WHEREAS under the said Regulation, it is obligatory on my part to form a registered agency with the Vice-Chairman, DDA for the Management and Administration of the common portions and common services attached to the flats, execute the conveyance deed for the flat and joint lease deed for the land, under the appurtenant to the flats before the possession of the flat is handed over to me.

AND WHEREAS I in my own interest have applied to Delhi Development Authority for the possession of the flat allotted for immediate occupation, before the completion of the various formalities required to be performed by me under the said regulations and execution and registration of the documents provided in the Regulations.

I, \_\_\_\_\_, S/o, W/o, D/o \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_, hereby undertake that in the event of the possession of the flat allotted being given to me earlier, I shall abide by all the terms and conditions that are set forth in the DDA (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, including the documents containing therein, or may be set forth in the, Conveyance Deed for the flat and the joint lease deed for the land under the appurtenant to the flats by the Delhi Development Authority and shall sign and execute the same with the Delhi Development Authority and get the same registered at my own cost and expenses in the manners prescribed under the said Regulations within 90 days from the date of handing over the possession of the flat or such extended period as may be permitted by the Vice Chairman of Delhi Development Authority from time to time and that during the said period of 90 days of such extended period as may be permitted, I shall be responsible for looking the maintenance of the common services attached to the flat allotted.

I, further undertake that we shall constitute and become, a member of the Registered Agency prescribed under the said Regulations and abide by the constitution, a model form of which I have read and understood.

I also undertake not to make any additions and alterations in the dwelling unit allotted to me without obtaining prior and written permission from the D.D.A. It will be open to DDA to cancel the allotment and resume the possession of the dwelling unit, if I fail to fulfill the undertaking given herein.

Signed by me \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ Two Thousand \_\_\_\_\_

In the presence of Witnesses:-

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**ALLOTTEE**



## वचन-पत्र

**टिप्पणी:** यह शपथ-पत्र 10/- रु. के नान-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब-जज / नोटरी पब्लिक से स्त्यापित करवायें तथा इस पर 5/- रु. की अतिरिक्त स्टॉम्प भी लगायें।

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ निम्नानुसार वचन देता हूँ \_\_\_\_\_

1. कि मैं भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से तय रूपान्तरण प्रभार के अंतर का भुगतान करूँगा और माँग के अनुसार दि. वि. प्रा. को भुगतान करूँगा, यदि ये वर्तमान प्रभारित के अतिरिक्त हों।
2. कि मैं बड़े हुए रूपान्तरण प्रभारों पर रूपान्तरण प्रभारों की दरों के अंतिम निर्णय के समय स्टाम्प ड्यूटी का भी भुगतान करूँगा और मैं पूरक कन्वीएंस डीड के निष्पादन / पंजीकरण कराने के लिए तैयार हूँ।

निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में मेरे द्वारा दिल्ली में \_\_\_\_\_ हस्ताक्षरित \_\_\_\_\_

आबंटी

गवाह :-

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

ANNEXURE-G

## UNDERTAKING

(NOTE: This Undertaking should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

I, \_\_\_\_\_ S/o D/o W/o Sh. \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ hereby undertake as under:

1. That I will pay the difference of conversion charges finally decided by Govt. of India and will pay to DDA as demanded, if they are in excess of the presently charged conversion charges.
2. That I will also pay the stamp duty at the time of final decision of the rates of the conversion charges on the increased conversion charges and ready to execute / get registered the supplementary conveyance deed.

Signed by me at the Delhi on this \_\_\_\_\_ in the presence of the following witnesses:-

Witnesses:-

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

ALLOTTEE

# दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास विभाग)

अनुलग्नक - एच

सं. एफ ( ) (चार प्रतिलिपियाँ) दिनांक \_\_\_\_\_

विषय : श्रेणी अन्तर्गत  
ब्लॉक / सेक्टर आवासीय योजना में पाकेट ग्रुप मंजिल पर प्लैट सं. का आबंटन  
ज्ञापन उपर्युक्त प्लैट श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री

पासपोर्ट आकार का  
अनुप्रमाणित फोटो  
चिपकाएं

को आबंटित किया गया है। इस पत्र के जारी होने की तिथि से दिनों के अन्दर उपर्युक्त आबंटिती को प्लैट का कब्जा सौंप दिया जाए।  
प्लैट का कब्जा लेने के लिए कार्य-स्थल पर उपस्थित होने के लिए आबंटिती से अनुरोध किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी / अधिकृत नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किए गए आबंटितों के हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं। खाली स्थान भरने के बाद इस कब्जा पत्र की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता द्वारा हमारे कार्यालय के रिकार्ड के लिए भिजवा दी जाए।

सहायक निदेशक (आवास) दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिशासी अभियन्ता  
श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री / श्री  
के हस्ताक्षर एतद्वारा अनुप्रमाणित किए जाते हैं।

आबंटिती के हस्ताक्षर  
मुहर सहित मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित

प्रतिलिपि श्री / श्रीमती / कुमारी को वे कृपया इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर कनिष्ठ अभियन्ता, स्थल अधिकारी को मिलें जो उन्हें प्लैट का कब्जा सौंपेंगे। यदि उपर्युक्त अवधि के अन्दर आप कार्यस्थल पर नहीं मिले तो आपको और कोई सूचना दिए बिना आबंटन रद्द कर दिया जाएगा।

आबंटिती का पता सहायक निदेशक (आवास), दिल्ली विकास प्राधिकरण

**विशेष ध्यान दीजिए :-** यदि हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित कराए जाएं तो 5/- रु. की नोटरियल स्टाम्प लगाई जाए।

यह पुष्टि की जाती है कि \_\_\_\_\_ श्रेणी के अन्तर्गत \_\_\_\_\_ आवासीय योजना में \_\_\_\_\_  
मंजिल पर बने प्लैट सं. \_\_\_\_\_ का कब्जा दिनांक \_\_\_\_\_ को दिया गया था।

सहायक निदेशक (आवास) अधिशासी अभियन्ता  
यदि उपर्युक्त तिथि को कब्जा न सौंपा जा सका हो तो टिप्पणी वाले खाने में अधिशासी अभियन्ता या उनके प्रतिनिधि को समुचित कारण देने चाहिए

ANNEXURE - H

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY, HOUSING DEPARTMENT, D-BLOCK, VIKAS SADAN, NEW DELHI (In Quadruplicate)

No.: F. ( ) / Dated \_\_\_\_\_

Sub: Allotment of house bearing No. \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_, Pocket/Block \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Residential Scheme under \_\_\_\_\_ in (Type) \_\_\_\_\_ Category \_\_\_\_\_. The house mentioned above has been allotted to Shri/Smt./Miss \_\_\_\_\_ S/o D/o W/o Sh. \_\_\_\_\_  
The possession of the house may be handed over to the allottee within 90 days of the date of issue of this letter. The allottee is being requested to be present at site to take over the physical possession. Signature of the allottee duly attested by Magistrate Class-I, Gazetted Officer/Authorized Notary Public has been given below. One copy of this possession letter after filling up the blanks may be sent to the undersigned by the Executive Engineer for our office record.

Affix  
Attested  
Pasport size  
Photograph

Asstt. Director  
Delhi Development Authority

The Executive Engineer,

Signature of Shri/Smt./Miss \_\_\_\_\_ S/o D/o W/o Shri \_\_\_\_\_ are hereby attested.

Signature of the Allottee Attested by Magistrate  
Class-I/Gazetted Officer/Notary Public with seal

Copy forwarded to Shri/Smt./Miss \_\_\_\_\_ with the request that he/she may kindly report to the Jr. Engineer, Site Officer within 30 days from the date of issue of this letter who will hand over the possession of the house to him/her. In case of default or in reporting at site within the period indicated above, the allotment would be cancelled without any further notice to you.

Asstt. Director (Delhi Development Authority)

Address of Allottee

N.B.: In case the signatures are attested by Notary Public, the Notarial stamp of Rs. 5/- may be affixed. This is to inform that the possession of house bearing No. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Residential Scheme under \_\_\_\_\_ Category was given to allottee on \_\_\_\_.

Executive Engineer \_\_\_\_\_ Division (Rubber Stamp)

Asstt. Director (Housing)

In Case, the possession could not be handed over on the date indicated above, the Executive Engineer or his representative should give valid reasons in the remarks Column.

श्री \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ और श्रीमती \_\_\_\_\_

पत्नी श्री \_\_\_\_\_

	श्री _____ के नमूना हस्ताक्षर और फोटो	श्री _____
1.		की फोटो
2.		
3.		

	श्री _____ के नमूना हस्ताक्षर और फोटो	श्री _____
1.		की फोटो
2.		
3.		

### मुहर सहित सत्यापित

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_ पद \_\_\_\_\_

**टिप्पणी :** फोटोग्राफ हस्ताक्षर और मुहर सहित आधे फोटोग्राफ और आधे कागज पर सत्यापित होना चाहिए। हस्ताक्षर और मुहर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/ किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

### ANNEXURE - I

Specimen signature and photograph of Shri \_\_\_\_\_ S/o, D/o, W/o, Sh. \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ and Smt. \_\_\_\_\_ W/o Shri. \_\_\_\_\_

	Specimen Signature of Sh.	Photo of Shri
1.		
2.		
3.		

	Specimen Signature of Sh.	Photo of Shri
1.		
2.		
3.		

Attested with seal

Signature \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_ Designation \_\_\_\_\_

**NOTE:** Photograph should be attested with stamp and signature half on the photograph and half on the paper. Signatures and Photograph should be attested by 1<sup>st</sup> Class Magistrate/Notary Public/Any other Competent Authority.

## फार्म भरने के लिए अनुदेश

### सामान्य अनुदेश

- केवल बड़े (केपिटल) अक्षर लिखें।
- प्रत्येक बॉक्स में केवल अक्षर/संख्या लिखें।
- प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ें।
- आपके ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक के पीछे आपका नाम, आवेदन संख्या और टेलीफोन नंबर लिखें।
- दिए गए बॉक्स में अपनी नवीनतम फोटो लगाएँ तथा फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स में और आवेदन पत्र में नीचे हस्ताक्षर करें।
- संयुक्त आवेदन के मामले में दिए गए बॉक्स में संयुक्त आवेदकों की नवीनतम फोटो चिपकाएँ और फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स तथा आवेदन पत्र में नीचे हस्ताक्षर करें।

### विशेष अनुदेश

- पैन (आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता सं.) कार्ड/पत्र में दिए अनुसार आवेदक का नाम
- पैन कार्ड/पत्र में दिए अनुसार प्रथम आवेदक के पिता का नाम लिखें।
- प्रथम आवेदक की स्थायी खाता संख्या यहां दी जाए और पैन कार्ड पैन के सूचना पत्र की प्रति संलग्न की जाए।
- प्रथम आवेदक के बैंक खाते के विवरण दिए जाएं। यदि एक आवेदक ने किसी अन्य खाते या फर्म के खाते या कम्पनी के खाते से धनराशि निकाली है तो आवेदन पत्र में दिए गए प्रथम आवेदक के बैंक के विवरण दिए जाएं। बैंक के ये विवरण नाम के साथ धन राशि वापस करने के बैंक पर मुद्रित किए जाएंगे और इस धन राशि वापसी के बैंक को उस खाते में जमा किया जा सकता है यदि आवेदक का नाम और बैंक के विवरण बैंक के अभिलेख से मेल खाते हैं। संयुक्त नामों पर आवेदन के मामले में धन राशि वापसी का बैंक प्रथम आवेदक के नाम पर जारी किए जाएंगे, इसलिए प्रथम आवेदक के बैंक विवरण दिए जाएं।

- कृपया एसटीडी कोड के साथ अपना फोन नंबर और यदि कोई मोबाइल नंबर हो, दें। आवेदक के हित में होगा कि वे अपने नंबर दें, क्योंकि किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर इन नंबरों पर आवेदक से सम्पर्क किया जा सकता है।
- आवेदक की श्रेणी का कोड लिखें। यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी का है तो प्रमाण संलग्न करें। प्रत्येक श्रेणी का कोड निम्नानुसार है :

श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	अज
अनुसूचित जनजाति	अजज
युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवा	सै. वि.
शारीरिक विकलांग	शा. वि.
पूर्व सैनिक	पू. सै.
सामान्य श्रेणी	सा. श्रे.

- यहाँ प्रथम आवेदक का आवासीय पता दिया जाए और प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए।
- पत्राचार का पता लिखें, जहां आवेदक अपना धन राशि वापसी का बैंक/मांगपत्र एवं आबंटन पत्र मंगाना चाहता है।
- यदि आवेदन संयुक्त नाम पर किया गया हो तो संयुक्त आवेदक का नाम लिखें।
- आवेदक जिन स्थानों के लिए आवेदन करना चाहता है, कृपया वे सभी वरीयताएँ भरें, जिन वरीयताओं को भरा नहीं गया हो, उन पर X का निशान लगाएँ।
- पंजीकरण राशि 1,50,000/- रु. के विवरण लिखें। माँग पत्र/बैंकर्स चेक दिल्ली/नई दिल्ली में देय डीडीए हाउसिंग के पक्ष में होना चाहिए। यदि आवेदक ने डाउनलोड किया गया फॉर्म उपयोग किया है तो पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ 150/- रु. का अलग से भुगतान आदेश/बैंकर्स चेक दिया जाए।

## INSTRUCTIONS TO FILL FORM

### GENERAL INSTRUCTIONS

- Only Capital letters should be used.
- Use one box for one letter/number.
- Leave one box blank after one word.
- Write your name, application number and telephone number at the back of your draft/pay order/banker's cheque.
- Paste latest photograph in the box provided and sign in the box below the photograph and at the bottom of the application form
- In case of joint application, paste the latest photograph of the joint applicant in the box provided and sign in the box below the photograph and at the bottom of the application form.

### SPECIFIC INSTRUCTIONS

- Write name of the applicant as given in PAN. (Permanent Account Number issued by the Income Tax Department) Card/Letter.
- Write father's Name of first applicant as given in PAN Card/Letter.
- Permanent account number of first applicant need to be given here and copy of PAN card/intimation letter of PAN to be enclosed.
- Give detail of bank account of first applicant. If an applicant has withdrawn money from any other account or firm's account or company's account, the bank detail of the first applicant whose name is given in the application form need to be given. These bank details would be printed on the refund cheque along with the name and refund cheque can be deposited in that account if name of the applicant and bank particulars match with the records with bank. In case of application in joint name refund cheque would be issued in the name of first applicant hence bank detail of the first applicant need to be given.

- Please give phone number with STD code and mobile number if any. It would be in the interest of the applicant to give these details as it helps the bank to contact the applicant in case of any need.

Category	Code
Scheduled Caste	S C
Scheduled Tribe	S T
War Widows	W W
Physically Handicapped	P H
Ex-Servicemen	E X
General Category	G E

- Write code for the category to which the applicant belong. In case applicant is from reserve category, enclose proof. The code for each category is given above :
- Give residential address of the first applicant need to be given here and copy of proof to be enclosed.
- Write correspondence address where the applicant wants to reach his refund cheque/demand letter-cum allotment letter.
- In case application is preferred in joint name, write the name of the joint applicant.
- Please write the code (given in Annexure 'A') for the locality to which applicant want to fill all preferences, put cross mark in preferences not filled.
- Write details of the registration money of Rs. 1,50,000/-. Demand draft/banker's cheque should be in favour of DDA HOUSING - payable at Delhi/New Delhi. In case applicant has used downloaded application form, separate pay order/ banker's cheque of Rs. 150/- to be given to the bank along with the completely filled application form.